(भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

सं.एफ. 9-3/2017-यू.3(ए)

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 29 नवंबर, 2019

अधिसूचना

जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को समविश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. **और जबकि**, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत चैतन्य डिग्री कॉलेज (स्वायत्त) हनमकोंडा, वारंगल, तेलंगाना को सामान्य श्रेणी के तहत चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से निम्नलिखित विभागों के साथ समविश्वविद्यालय दर्जा प्रदान करने के लिए दिनांक 17.3.2017 को एक आवेदन प्राप्त हुआ था :-

i. गणित और सांख्यिकी विभाग (यूजी और पीजी पाठ्यक्रम);
ii. भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग (यूजी और पीजी पाठ्यक्रम);
iii. कंप्यूटर विज्ञान विभाग (यूजी और पीजी पाठ्यक्रम);
iv. रसायन विज्ञान विभाग (यूजी और पीजी पाठ्यक्रम);
v. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (यूजी और पीजी पाठ्यक्रम);
vi. जैव-रसायन विभाग (यूजी और पीजी पाठ्यक्रम);
vii. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग (यूजी और पीजी पाठ्यक्रम); और
viii. वाणिज्य और व्यवसाय प्रबंधन विभाग (यूजी और पीजी पाठ्यक्रम)

3. **और जबकि,** यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 के अनुसार, आवेदन को दिनांक 29.3.2017 को जांच और अपनी सलाह मंत्रालय को भेजने हेतु यूजीसी को अग्रेषित किया गया था।

4. **और जबकि,** विनियम के प्रावधानों के अनुसार, यूजीसी द्वारा संस्था में उपलब्ध अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के स्थानिक मूल्यांकन हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। जैसाकि संस्था, एमबीए और एमसीए पाठ्यक्रम प्रदान कर रही है, जिनका विनियमन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटी) द्वारा किया जा रहा है, एआईसीटीई ने भी यूजीसी विशेषज्ञ समिति के साथ संस्था के वास्तविक निरीक्षण के लिए एक अलग

विशेषज्ञ समिति गठित की थी। दोनों समितियों ने 14- 15 दिसंबर, 2018 के दौरान संस्था का दौरा किया और सिफारिश की कि चैतन्य डिग्री कॉलेज, वारंगल को सम विश्वविद्यालय दर्जा केवल संस्था को विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए कुछ सुझाव के अनुपालन की प्रस्तुति के बाद दिया जा सकता है।

5. **और जबकि,** संस्था ने आयोग के निर्णय के अनुसार अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यूजीसी की अनुपालन सत्यापन समिति द्वारा संस्था की अनुपालन रिपोर्ट का सत्यापन किया गया है। समिति ने सिफारिश की थीकि चैतन्य डिग्री कॉलेज, वारंगल, तेलंगाना को प्रस्ताव के अनुसार सम-विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने सुझाव दिया कि संस्था से अनुसंधान और प्रकाशन की गुणवता और नवाचार सुधार के बारे में कार्य योजना प्राप्त करने के बाद मामले पर पुनः विचार किया जाएगा।

6. **और इसके अतिरिक्त जबकि,** चैतन्य डिग्री कालेज, वारंगल, तेलंगाना ने कार्य योजना प्रस्तुत की, जिसका यूजीसी की विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया और चैतन्य डिग्री कॉलेज, वारंगल, तेलंगाना को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। समिति की रिपोर्ट पर आयोग द्वारा दिनांक 9.8.2019 को आयोजित अपनी 543वीं बैठक (मद संख्या 2.12) में विचार किया गया, जिसमें आयोग ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत चैतन्य डिग्री कॉलेज, वारंगल, तेलंगाना को 'चैतन्य प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान' के नाम से सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए समिति की सिफारिशों का अनुमोदन किया।

7. **अब, इसलिए,** यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार यूजीसी की सलाह पर, एतद्द्वारा सामान्य श्रेणी के तहत, चैतन्य डिग्री कॉलेज (स्वायत), हनमकोंडा, वारंगल, तेलंगाना को 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान' वारंगल, तेलंगाना के नाम से संभावित तारीख के साथ 5 वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है। उक्त घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

i. काकतिया विश्वविद्यालय, वारंगल का चैतन्य डिग्री कॉलेज के साथ संबंधन यह अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर समाप्त हो जाएगा। इस अधिसूचना के पश्चात दाखिला प्राप्त करने वाले विद्यार्थी सम-विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करेंगे।

ii. 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान', वारंगल, तेलंगाना को सम-विश्वविद्यालय का पूर्ण दर्जा प्रचलित नियमों के प्रावधानों के अनुसार आयोग की सलाह पर संस्था की शैक्षिक और कार्य निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर 5 वर्षों के बाद प्रदान किया जाएगा।

iii. इस अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर समस्त चल और अचल परिसम्पत्तियों को 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान' वारंगल के नाम पर कानूनी रूप से अंतरित किया जाएगा।

iv. 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान' वारंगल, तेलंगाना समय-समय पर संशोधित यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2019 में निहित शर्तों का पालन करेगा।

v. सम-विश्वविद्यालय संस्था/या उसकी संघटक शैक्षिक इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्वों का यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना कोई विपथन नहीं किया जाएगा।

vi. 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान', वारंगल, तेलंगाना व्यावसायिक और लाभ अर्जन प्रकृति के किसी भी कार्यकलाप में शामिल नहीं होगा।

vii. 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान', वारंगल, तेलंगाना द्वारा प्रदान किए जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रम यूजीसी/संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानकों और मानदंडों के अनुरूप होंगे।

viii. 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान', वारंगल, तेलंगाना नए शैक्षिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम, ऑफ कैम्पस, ऑफ शोर कैम्पस, केवल इस विषय पर यूजीसी द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप शुरू करेंगे।

ix. सम-विश्वविद्यालय के नाम पर छात्रों का दाखिला/नामांकन केवल इस अधिसूचना के जारी होने के बाद होगा।

x. 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान', वारंगल, तेलंगाना अनुसंधान कार्यक्रमों के साथ-साथ डॉक्टरल और नवाचारी शैक्षिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए उचित उपाय करेगा। यह संस्थान केवल वर्तमान में नए उभरते क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह यूजीसी विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्य क्षेत्रों में विस्तार के भी प्रयास करेगा।

xi. 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान', वारंगल, तेलंगाना राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा सभी पात्र शैक्षिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के वैध प्रत्यायन हेतु सभी आवश्यक उपाय करेगा और संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2019 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध प्रत्यायन प्राप्त करेगा।

xii. 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान', वारंगल, तेलंगाना विद्यार्थियों के दाखिले, विद्यार्थियों की दाखिला क्षमता, शैक्षिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन का नवीकरण, विद्यार्थियों की दाखिला क्षमता का संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम को

प्रारंभ करना, आदि के मामले में सांविधिक परिषदों के निर्धारित सभी मानकों और प्रक्रियाओं को निरंतर रूप से लागू करेगा और इसका अनुपालन करेगा।

xiii. 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान', वारंगल, तेलंगाना मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार यूजीसी/एमएचआरडी के अनुमोदन के लिए अपने संगम ज्ञापन (एमओए)/नियम प्रस्तुत करेगा। संस्थान जब कभी आवश्यक हो, प्रचलित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने एमओए/नियमों को अद्यतन या संशोधित या रूपांतरित करेगा।

xiv. 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान', वारंगल, तेलंगाना यूजीसी नियमों एवं विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का अनुपालन करेगा।

xv. 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान', वारंगल, तेलंगाना इस मंत्रालय के राष्ट्रीय सांस्थानिक रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भागीदारी करेगा।

सुब्बाराव

(वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव)
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
टेलिफोन: 011-2307 3687

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, दिल्ली – 110002.

<u>प्रतिलिपि अग्रेषितः</u>

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002
2. प्रधानाचार्य, चैतन्य डिग्री कॉलेज (स्वायत्त), किशनपुरा, हनमकोंडा, जिला वारंगल-506001, तेलंगाना।
3. प्रधान सचिव, (उच्चतर शिक्षा), तेलंगाना राज्य सरकार, डी-ब्लॉक, सचिवालय भवन, हैदराबाद-500022, तेलंगाना।
4. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इंदिरा गांधी स्टेडियम, आई.पी एस्टेट, नई दिल्ली-110002.
5. कुलपति, काकतिया विश्वविद्यालय, वारंगल-506009, तेलंगाना को इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना के पैरा 7(i) में उल्लिखित संस्था के संबंधन को समाप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।
6. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

7. महा-सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002.

8. संयुक्त सचिव (प्रशासन) और वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस एकक को इस अधिसूचना को उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक निर्देश दें।

9. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल।

सुब्बा राव

(वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव)
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
टेलिफोन: 011-2307 3687